रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15102020-222470 CG-DL-E-15102020-222470

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] No. 518] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2020/आश्विन 22, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2020/ASVINA 22, 1942

> संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 2020

सा.का.नि. 632(अ).— राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सा.का.नि 278 तारीख 29.05.1992 के द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित भारतीय दूरसंचार सेवा (समूह 'क') भर्ती नियम, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय दूरसंचार सेवा (समूह 'क') की भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दूरसंचार सेवा (समूह 'क') नियम, 2020 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
  - (1) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग (सं.लो.से.आ.) अभिप्रेत है ;
  - (2) "नियंत्रण प्राधिकारी" से भारत सरकार, संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग अभिप्रेत है;

4915 GI/2020 (1)

- (3) "विभागीय प्रोन्नति समिति, विभागीय पुष्टि समिति, विभागीय छानबीन समितियों" से इन नियमों की अनुसूची-4 के अनुसार गठित किसी भी ग्रेड में अधिकारियों की प्रोन्नति या पुष्टि पर विचार करने के लिए, क्रमशः अकृत्यिक उन्नयन या अकृत्यिक चयन ग्रेड प्रदान करने के लिए समिति अभिप्रेत है;
- (4) "कर्तव्य पद" से इन नियमों की अनुसूची-1 की सारणी 1 में वर्णित ग्रेड में कोई पद, चाहे वह स्थायी या अस्थायी हो, अभिप्रेत है;
- (5) "परीक्षा" से इस सेवा में पदों पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी सेवा परीक्षा अभिप्रेत है ;
- (6) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;
- (7) "ग्रेड" से इन नियमों की अनुसूची-1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों का ग्रेड अभिप्रेत है ;
- (8) "अधिकारी" से सेवा का सदस्य अभिप्रेत है ;
- (9) किसी ग्रेड के सम्बन्ध में "नियमित सेवा" से इन नियमों के अधीन इस ग्रेड में चयन और नियुक्ति के पश्चात् उस ग्रेड में सेवा की अवधि अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित अवधि भी सम्मिलित हैं,-
  - (क) इन नियमों के प्रारम्भ के समय ग्रेड में पहले से ही उन व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए हिसाब में ली गई कोई अवधि.
  - (ख) वह अवधि, जिसके दौरान अधिकारी, यदि छुट्टी पर न होता अथवा अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध न होने पर वह उस ग्रेड में पद धारण करता,
- (10) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां अभिप्रेत है ;
  - (11) "सेवा" से भारतीय दूरसंचार सेवा अभिप्रेत है जिसमें इन नियमों की अनुसूची-1 में वर्णित पद या ग्रेड या समय वेतनमान सम्मिलित हैं ।
  - (12) 'अनुसूचित जाति', 'अनुसूचित जनजाति', 'अन्य पिछड़ा वर्ग' और, 'दिव्यांगजन व्यक्ति' पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो भारत से संविधान या संसद के अधिनियमों में उनके हैं।
- 3. सेवाओं का गठन.- (1) भारतीय दूरसंचार सेवा के नाम से ज्ञात सेवा का गठन किया जाएगा जो नियम 6 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर बनेगी।
- (2) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह 'क' पदों के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।
- (3) इस नियम के उपनियम (1) में यथानिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उनकी अपनी-अपनी तत्स्थानी ग्रेडों में की गई नियमित निरंतर सेवा, ज्येष्ठता, पृष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन और पेंशन और प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में गिनी जाएगी।
- 4. ग्रेड, प्राधिकृत पद संख्या और उसका पुनर्विलोकन.- (1) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को, सेवा में विभिन्न ग्रेडों में पद, उनकी संख्या और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) इन नियमों के प्रारम्भ से ही, विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत स्थायी पद संख्या वह होगी जो कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ;
- (3) नियंत्रण प्राधिकारी, आयोग और सरकार [संचार मंत्रालय, व्यय विभाग (जहां कहीं लागू हो) और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग] से परामर्श करके विभिन्न ग्रेडों में पदों की संख्या में अस्थायी वृद्धि या कमी कर सकेगा, जैसा वह सरकार द्वारा जारी किए गए किसी साधारण या विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, समय-समय पर आवश्यक समझे।

- (4) नियंत्रण प्राधिकारी, आयोग और सरकार [संचार मंत्रालय, व्यय विभाग (जहां कहीं लागू हो) और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग] से परामर्श करके सेवा में ऐसे पदो को सम्मिलित कर सकेगा जो अनुसूची-1 में सम्मिलित पदों से भिन्न प्रास्थिति, ग्रेड, वेतनमान और वृत्ति अन्तर्वस्तु में की गई सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य हों या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किए गए किसी पद को सेवा से विवर्जित कर सकेगा;
- (5) नियंत्रक प्राधिकारी, आयोग के परामर्श से, ऐसे अधिकारी की, जिसका पद उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित किया गया है, अस्थायी हैसियत या अधिष्ठायी हैसियत में उस समुचित ग्रेड, जैसा वह उचित समझे, नियुक्ति कर सकेगा और उसकी ज्येष्ठता सरकार द्वारा समय-समय पर जारी साधारण आदेशों और अनुदेशों के अनुसार ऐसे ग्रेड में नियत कर सकेगा।
- 5. सेवा के सदस्य.- (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात्: -
  - (क) नियम 6 के तहत कर्तव्य पद पर नियुक्त माना गया व्यक्ति, और
  - (ख) नियम 7 के तहत कर्तव्य पद पर नियुक्त व्यक्ति
- (2) उप नियम (1) के खंड (क) के तहत नियुक्त व्यक्ति को सेवा के आरंभिक गठन की तारीख से उस व्यक्ति पर लागू उपयुक्त ग्रेड में इस सेवा का सदस्य माना जाएगा।
- (3) उप नियम (1) के खंड (ख) के तहत नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति की तारीख से अनुसूची-। में यथा विनिर्दिष्ट उस व्यक्ति पर लागू उपयुक्त ग्रेड में इस सेवा का सदस्य माना जाएगा।
- 6. सेवा का आरंभिक गठन:— भारतीय दूरसंचार सेवा के इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को ऐसे पदों पर नियमित आधार अथवा लियन पर उस सेवा के विभिन्न ग्रेडों में कार्यरत भारतीय दूरसंचार सेवा में अधिकारीगण को स्थायी अथवा कार्यवाहक क्षमता में, जैसा भी मामला हो, इस सेवा में उपयुक्त कर्तव्य पदों तथा ग्रेडों में नियुक्त माने जाएंगे।
- 7. सेवा का भावी रखरखाव.- (1) नियम 6 के अधीन सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात, यदि अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट किसी भी ग्रेड में कोई रिक्ति उद्भव होती है, तो उसे इस नियम के पश्चात उपबंधित रीति के अनुसार भरा जाएगा, अर्थात्:
- (क) किनष्ठ वेतनमान के ग्रेड में पचास प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताओं और आयु सीमा के आधार पर परीक्षा या किसी स्कीम या परीक्षा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से अधिसूचित की जाए, के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी; और
- (ख) कनिष्ठ वेतनमान में शेष पचास प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट रीति में दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह 'ख' के अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी ।
- (2) अनुसूची-3 में क्रम संख्यांक 1 से क्रम संख्यांक 7 पर विनिर्दिष्ट ग्रेडों में नियुक्ति अनुसूची-3 के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार न्यूनतम अर्हक सेवा रखने वाले अगले निम्नतर ग्रेड के अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा की जाएगी।
- (3) प्रोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एनएफएसजी) में अकृत्यिक चयन ग्रेड के पद पर प्रोन्नति के मामले के सिवाय चयन द्वारा किया जाएगा जो अनुसूची-4 के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गठित समिति की सिफारिश पर उपयुक्तता के अध्यधीन ज्येष्ठता के आधार पर होगा।
- (4) उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक मामले में चयन विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर होगा।
- (5) सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता और आयु सीमा वह होगी, जो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट की जाए ।
- 8. अकृत्यिक उन्नयन.- अधिकारियों को ;
  - (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या निदेशों के अनुसार;
  - (ii) अनुसूची-4 में यथाविनिर्दिष्ट छानबीन समिति की सिफारिशों पर;

अकृत्यिक उन्नयन प्रदान किया जाएगा ।

9. ज्येष्ठता.- (1) इन नियमों के प्रारम्भ पर, किसी ग्रेड में नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पहले यथा अवधारित उनके अपने-अपने ग्रेडों में सापेक्ष ज्येष्ठता होगी :

परंतु यदि सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से पूर्व अवधारित नहीं की गई है तो वह समय-समय पर सरकार द्वारा जारी ज्येष्ठता सम्बन्धी साधारण अनुदेशों के अनुसार सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

- (2) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से ही सेवा के विभिन्न ग्रेडों में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ज्येष्ठता सम्बन्धी साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी ।
- **10. परिवीक्षा.-** (1) सेवा में किनष्ठ वेतनमान में सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाने पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर होगा :

परंतु नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि के किसी विस्तार के लिए कोई विनिश्चय परिवीक्षा की पूर्व अवधि की समाप्ति के पश्चात् आठ सप्ताह के भीतर मामूली तौर पर किया जाएगा और उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए कारणों सहित सम्बन्धित अधिकारी को लिखित में संसूचित किया जाएगा।

- (2) यथास्थिति, परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के पूरे हो जाने पर अधिकारियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाता है तो वे नियमित आधार पर अपनी नियुक्ति पर बने रहेंगे और उपलब्ध अधिष्ठायी रिक्ति के सम्बन्ध में सम्यक् अनुक्रम में उनकी पृष्टि की जाएगी।
- (3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी, जो स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, सरकार, यथास्थिति, उस अधिकारी को निर्मुक्त कर सकेगी या सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर उसे प्रत्यावर्तित कर सकेगी।
- (4) परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान अधिकारियों से, ऐसा प्रशिक्षण और अनुदेश पूरा करने और ऐसी परीक्षा तथा परीक्षण (जिसमें हिन्दी में भी परीक्षा सम्मिलित है), जो केन्द्रीय सरकार परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा होने की एक शर्त के रूप में उचित समझे, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी।
- (5) जहां तक परिवीक्षा से सम्बन्धित विषयों का सम्बन्ध है, यदि वे इन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं तो सेवा के सदस्य इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।
- 11. मिड-कैरियर प्रशिक्षण (एम सी टी) कार्यक्रम.- सेवा के अधिकारी मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (कार्यक्रमों) को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार समाधानपूर्वक पूरा करेंगे।
- 12. सेवा में नियुक्ति.- सेवा में सभी नियुक्तियां, सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सभी कर्तव्य पदों के लिए नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।
- 13. भारत के किसी भी भाग में सेवा का दायित्व और अन्य सेवा शर्तें.- (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में या उससे बाहर कहीं भी सेवा करने के दायी होंगे।
- (2) सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए, किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से सम्बन्धित किसी पद पर सेवा करने का कम से कम चार वर्ष की अवधि, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण पर बिताई गई अवधि, यदि कोई हो, भी है, के लिए दायी होगा :

परंतु यह और कि,-

- (क) ऐसे अधिकारी से सेवा की उसकी नियुक्ति की तारीख से या सेवा के आरम्भिक गठन से पहले उसके पदभार ग्रहण करने की तारीख से दस वर्ष की समाप्ति पर पूर्वोक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
- (ख) ऐसे अधिकारी से पूर्वोक्त रूप में सेवा करने की सामान्य तौर पर तब अपेक्षा नहीं की जाएगी, जब उसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ।

(3) सेवा के सदस्यों की सेवा की शर्तें, यदि उन्हें ये नियम लागू नहीं होते हैं, केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों पर, सामान्य रूप से लागू नियमों द्वारा शासित होंगी ।

## **14. निरर्हता.-** वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है.

उक्त पदों मे से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी ।

- 15. अन्य विभागों या संगठनों में प्रतिनियुक्ति.- इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सेवा में नियुक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा में किसी अन्य केन्द्रीय या राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या स्वायक्त निकायों या सरकार या राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर उद्यमों या सरकारी विभागों के साथ इस सम्बन्ध में करार रखने वाले किसी बाहरी देश में लोकहित में ऐसी प्रतिनियुक्ति या विदेश सेवा के लिए समय-समय पर प्रवृत्त सरकारी अनुदेशों या आदेशों के अधीन रहते हुए, भेजा जाएगा।
- **16. शिथिल करने की शक्ति.-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 17. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजन व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- 18. निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा किया जाएगा ।
- 19. निरसन. इन नियमों के नियम 9 में यथा उपबंधित के सिवाय, समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय दूरसंचार सेवा (समूह क) भर्ती नियम, 1992 का एतद्दारा निरसन किया जाता है।

परन्तु ऐसे निरसन के पूर्व उपरोक्त नियमों के तहत किए गए कार्य अथवा की गई कार्रवाई प्रभावित नहीं होगी।

# अनुसूची-1

[नियम 2(4), 2(7), 2(11), 4(1), 4(4), 5(3) और 7(1) देखिए]

अ. भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) समूह 'क' में सम्मिलित ग्रेड, पदाभिधान, वेतन मैट्रिक्स में स्तर और पदों की संख्या.-

क्र. सं.	ग्रेड	पदाभिधान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	पदों की संख्या⁺
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शीर्ष वेतनमान	महानिदेशक (दूरसंचार)	स्तर-17 (2,25,000 रु.)	1
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + (एचएजी+)	सलाहकार	स्तर-16 (2,05,400-2,24,400 रु.)	8
3.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)	वरिष्ठ उप-महानिदेशक	स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रु.)	24
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	उप-महानिदेशक	स्तर-14 (1,44,200-2,18,200 रु.)	191

5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अकृत्यिक चयन ग्रेड (एनएफएसजी)		स्तर-13 (1,23,100-2,15,900 रु.)	230
6.	किनष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी)	निदेशक	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)	
7.	ज्येष्ठ समय वेतनमान (एसटीएस)	सहायक महानिदेशक	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.)	303
8.	कनिष्ठ समय वेतनमान (जेटीएस)	सहायक प्रभागीय इंजीनियर (दूरसंचार)	स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.)	96
	कुल			853

<sup>\*</sup>उपरोक्त के अतिरिक्त.

- (i) अन्य विभागों/ संगठनों को आईटीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के लिए 310 पदों का प्रतिनियुक्ति रिजर्व होगा।
- (ii) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)/ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) में अधिकारियों की पदस्थापना के लिए 720 पदों का एक विशेष ह्रासमान रिजर्व होगा।
- (iii) पदों की संख्या 1690 की कार्य शक्ति के भीतर शेष रहे अधिकारियों की कुल संख्या के अध्यधीन होगी।
- (iv) बीएसएनएल/ एमटीएनएल में संचालित होने वाले आईटीएस पदों की संख्या कैबिनेट की अनुमोदन संख्या 7/सी एम/2013 तारीख 13 फरवरी 2013 (उपाबंध-1) के अनुसार होगी।

आ. बीएसएनएल या एमटीएनएल में अधिकारियों की पदस्थापना के लिए 720 पदों का विशेष ह्रासमान रिजर्व निम्नानुसार संचालित किया जाएगा:

वर्ष	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	कुल
2016-17	4	374	342	720
2017-18	0	353	278	631
2018-19	0	323	213	536
2019-20	0	281	137	418
2020-21	0	239	54	293
2021-22	0	199	0	199
2022-23	0	104	0	104
2023-24			शून्य	

टिप्पण. स्तर-13 में, 'अकृत्यिक चयन ग्रेड' में पदों की संख्या ज्येष्ठ कर्तव्य पद (अर्थात् ज्येष्ठ समय वेतनमान और उससे ऊपर) के तीस प्रतिशत या केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित तक निर्बंधित होगी।

उपाबंध-1

# बीएसएनएल और एमटीएनएल में काम करने वाले आईटीएस कैडर में कमी

# [संदर्भ: अनुसूची-l का पैरा (iv)]

वर्ष	बीएसएनएल में अस्थायी और ह्रासमान आधार पर संचालित किए जाने वाले आईटीएस अधिकारी पदों की संख्या				और पर स वाले	और ह्रासमान आधार तर संचालित किए जाने क्राले आईटीएस बीएसए अधिकारी पदों की में जेएर्ज खंख्या स्तर पर एसएजी					एसएजी और जेएजी के स्तर पर संपूर्ण डीओटी कैंडर की सेवानिवृत्ति जो बीएसएनएल में शुरुआत में जेएजी / डीजीएम स्तर पर और बाद में एसएजी / जीएम स्तर पर प्रभावित होगी।				एसएजी और जेएजी के स्तर पर संपूर्ण डीओटी कैडर की सेवानिवृत्ति जो एमटीएनएल में शुरुआत में जेएजी / डीजीएम स्तर पर और बाद में एसएजी / जीएम स्तर पर				विभिन्न स्तरों पर बीएसएनएल से डीओटी में आईटीएस अधिकारियों का प्रत्यावर्तन/ प्रत्यावासन					र
			(I)			(I	I)			(1	II)			ावित ह				(	(V)			(	(VI)	
	एचएजी	एसएजी	जेएजी	कुल	एचएजी	एसएजी	जेएजी	कुल	एचएजी	एसएजी	जेएजी	कुल	एचएजी	एसएजी	जेएजी	कुल	एचएजी	एसएजी	जेएजी	कुल	एचएजी	एसएजी	जेएजी	कुल
2016-17	3	339	333	675	1	35	9	45	0	0	35	35	0	1	9	10	3	20	20	43	1	0	0	1
2017-18	0	319	278	597	0	34	0	34	0	0	35	35	0	10	0	10	0	20	30	50	0	0	0	0
2018-19	0	299	213	512	0	24	0	24	0	0	46	46	0	12	0	12	0	30	30	60	0	0	0	0
2019-20	0	269	137	406	0	12	0	12	0	0	53	53	0	12	0	12	0	30	30	60	0	0	0	0
2020-21	0	239	54	293	0	0	0	0	0	0	53	53	0	0	0	0	0	40	1	41	0	0	0	0
2021-22	0	199	0	199	0	0	0	0	0	55	0	55	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0
2022-23	0	104	0	104	0	0	0	0	0	54	0	54	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# अनुसूची-2

## [नियम 7(5) देखिए]

# सीधी भर्ती के लिए अर्हता और आयु

## 1. अभ्यर्थी:

- (क) निम्नलिखित संस्थानों से 'विद्युत' या 'इलेक्ट्रॉनिक्स' या 'विद्युत संचार' या 'कंप्यूटर विज्ञान' या 'दूरसंचार' या 'सूचना प्रौद्योगिकी' या 'इंस्टरुमेन्टेशन' में इंजीनियरी में डिग्री या इसके समतुल्य योगयता रखता हो:
  - (i) केन्द्रीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन किसी विश्वविद्यालय के रूप में घोषित विश्वविद्यालय या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य संस्था;
  - (ii) सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से; अथवा
- (ख) कोई ऐसी अन्य अर्हता धारण करता हो जिसे परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजन के लिए आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा मान्यता दी गई है।
- 2. अभ्यर्थियों ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु भर्ती के समय आयोग द्वारा यथाविज्ञापित आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख को तीस वर्ष की आयु प्राप्त न की हों।

(केन्द्रीय सरकार, द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार, सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण : ऐसे अभ्यर्थियों पर भी, जो अन्यथा अर्हित हैं किन्तु किसी ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त की है जो सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है, आयोग के विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।

# अनुसूची-3

# [नियम 7(1)(ख) और 7(2) देखिए]

नियुक्ति की पद्धति, चयन का क्षेत्र और भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) समूह 'क' के उच्चतर कर्तव्य पद या श्रेणी में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा

क्र. सं.	ग्रेड	नियुक्ति की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	शीर्ष वेतनमान	चयन द्वारा प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-16 (2,05,400-2,24,400 रु.) में
			उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + में सेवा के ऐसे अधिकारी,
			जिन्होंने उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के
			पश्चात्, उस ग्रेड में एक वर्ष की सेवा की हो।
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड +	चयन द्वारा प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-15 (1,82,200-2,24,100 रु.)
	(एचएजी+)		में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के ऐसे अधिकारी,
			जिन्होंने उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, उस ग्रेड में एक वर्ष की सेवा की हो।
3.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड	चयन द्वारा प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (1,44,200-
0.	(एचएजी)	111 81 (1 7111111	2,18,200 रु.) में ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के ऐसे
	(3.3.7)		अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में नियमित आधार पर
			नियुक्ति के पश्चात्, उस ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो ;
			या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सेवा के समूह 'क' पद पर
			पच्चीस वर्ष नियमित सेवा की हो जिसमें से एक वर्ष की
			नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होनी चाहिए।
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	चयन द्वारा प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) में
	(एसएजी)		कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने
			उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात्, कनिष्ठ
			प्रशासनिक ग्रेड और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अकृत्यिक
			चयन ग्रेड, यदि कोई हो, में आठ वर्ष की सम्मिलित सेवा
			की हो ; या सेवा के समूह 'क' पदों पर सत्रह वर्ष की
			नियमित सेवा की हो जिसमें से कम से कम चार वर्ष की
			नियमित सेवा प्रशासनिक ग्रेड के अकृत्यिक चयन ग्रेड में
			की गई सेवा सहित कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में होनी चाहिए।
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में	उपयुक्तता के अध्यधीन ज्येष्ठता	वितन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.) में
0.	अकृत्यिक चयन ग्रेड	के आधार पर नियोजन	किनष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में सेवा के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने
	(एनएफएसजी)		उस परीक्षा, जिसके आधार पर सेवा का सर्दस्य भर्ती
			किया गया था, के वर्ष से अगले वर्ष में या प्रोन्नति पर
			किनष्ठ वेतनमान की चयन सूची में सम्मिलित होने के वर्ष
			से प्रकल्पित वर्ष की प्रथम जनवरी को सेवा के चौदहवें
-	-0		वर्ष में प्रवेश किया हो।
6.	किनष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी)	चयन द्वारा प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) में ज्येष्ठ वेतनमान में सेवा के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस
	(जएजा)		ज्येष्ठ वतनमान में सर्वा के एस आवकारा, जिन्हान उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर उस ग्रेड में
			पांच वर्ष की सेवा की है ।
7.	ज्येष्ठ समय वेतनमान	चयन द्वारा प्रोन्नति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-
	(एसटीएस)		रु.) में कनिष्ठ समय वेतमान में सेवा के ऐसे अधिकारी,
			जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार
			पर उस ग्रेड में चार वर्ष की सेवा की है, परंतु यह कि
			किनष्ठ वेतनमान के ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए
			अधिकारियों को समय-समय पर नियंत्रण प्राधिकारी
			द्वारा विनिर्दिष्ट विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी ।

8. कनिष्ठ समय वेतनमान	पचास प्रतिशत सीधी भर्ती	आयोग द्वारा संचालित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के
(जेटीएस)	द्वारा	माध्यम से
	पचास प्रतिशत चयन के आधार पर प्रोन्नति द्वारा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47,600-1,51,100 रु.) में दूरसंचार इंजीनियरी सेवा समूह 'ख' के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में नियुक्ति के पश्चात्, नियमित आधार पर उस ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की है

टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

# अनुसूची-4

[नियम 2(3), 7(4), 8 और अनुसूची-1 देखिए]

भारतीय दूरसंचार सेवा (आईटीएस) समूह 'क' के कर्तव्य पद (पदों) या ग्रेड (ग्रेडों) में प्रोन्नति, पुष्टि और अकृत्यिक उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय समितियों की संरचना :

क्र. सं.	ग्रेड/वेतन स्तर/पद	ग्रेड में नियुक्ति के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना	विभागीय पुष्टि समिति की संरचना	अकृत्यिक उन्नयन के लिए विभागीय छानबीन समिति की संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	शीर्ष वेतनमान (स्तर-17) महानिदेशक (दूरसंचार)	<ol> <li>अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष</li> <li>अध्यक्ष, डिजिटल संचार आयोग – सदस्य</li> <li>सदस्य, डिजिटल संचार आयोग –</li> </ol>	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
2.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + (एचएजी+) (स्तर-16) (सलाहकार)	सदस्य 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, डिजिटल संचार आयोग - सदस्य 3. सदस्य, डिजिटल संचार आयोग या महानिदेशक (दूरसंचार) - सदस्य	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।
3.	उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) (स्तर-15) (ज्येष्ठ उप- महानिदेशक)	अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष	लागू नहीं होता ।	1. अध्यक्ष, डिजिटल संचार आयोग – अध्यक्ष 2. सदस्य, डिजिटल संचार आयोग या महानिदेशक (दूरसंचार) – सदस्य 3. सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य
4.	ज्येष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) (स्तर-14)	<ol> <li>अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा</li> <li>आयोग – अध्यक्ष</li> <li>अध्यक्ष, डिजिटल संचार आयोग या</li> </ol>	लागू नहीं होता ।	<ol> <li>अध्यक्ष, डिजिटल संचार आयोग – अध्यक्ष</li> <li>सदस्य, डिजिटल संचार</li> </ol>

	(उप-महानिदेशक)	महानिदेशक (दूरसंचार) – सदस्य 3. सदस्य, डिजिटल संचार आयोग – सदस्य		आयोग या महानिदेशक (दूरसंचार) – सदस्य 3. सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य
5.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में अकृत्यिक चयन ग्रेड (एनएफएसजी) (स्तर-13)	<ol> <li>सदस्य, डिजिटल संचार आयोग या महानिदेशक (दूरसंचार) – अध्यक्ष</li> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> <li>उप-महानिदेशक, दूरसंचार विभाग - सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता ।	<ol> <li>सदस्य, डिजिटल संचार आयोग या महानिदेशक (दूरसंचार) – अध्यक्ष</li> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> <li>उप-महानिदेशक, दूरसंचार दिसार – सदस्य</li> </ol>
6.	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) (स्तर-12) (निदेशक)	<ol> <li>अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष</li> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता ।	<ol> <li>सदस्य, डिजिटल संचार आयोग या महानिदेशक (दूरसंचार) – अध्यक्ष</li> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> <li>उप-महानिदेशक, दूरसंचार दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> </ol>
7.	ज्येष्ठ समय वेतनमान (एसटीएस) (स्तर-11) (सहायक महानिदेशक)	<ol> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – अध्यक्ष</li> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> <li>उप-महानिदेशक, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता ।	सलाहकार, दूरसंचार     विभाग – अध्यक्ष     सलाहकार, दूरसंचार     विभाग – सदस्य     उप-महानिदेशक,     दूरसंचार विभाग – सदस्य
8.	कनिष्ठ समय वेतनमान (जेटीएस) (स्तर-10) (सहायक प्रभागीय इंजीनियर (दूरसंचार))	<ol> <li>अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष</li> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> <li>उप-महानिदेशक, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> </ol>	<ol> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – अध्यक्ष</li> <li>सलाहकार, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> <li>उप-महानिदेशक, दूरसंचार विभाग – सदस्य</li> </ol>	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 9-11(06)-2016- स्था(आरआर)/आईटीएस]

एस सी करोल, निदेशक (स्थापना)

# MINISTRY OF COMMUNICATIONS (Department of Telecummunications) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2020

G.S.R. 632(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Telecommunications Service (Group-A) Recruitment Rules, 1992 published in Gazette of India vide GSR 278 dated 29.05.1992, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Indian Telecommunications Service (Group 'A'), namely:-

- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Indian Telecommunications Service (Group 'A') Rules, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (1) "Commission" means the Union Public Service Commission(UPSC);
  - (2) "Controlling authority" means the Government of India in the Ministry of Communications, Department of Telecommunications;
  - (3) "Departmental Promotion Committee, Departmental Confirmation Committee, Departmental Screening Committee" means a committee to consider promotion or confirmation of officers, grant of Non-Functional Up-gradation or Non-Functional Selection grade respectively, in any grade constituted in accordance with Schedule IV to these rules;
  - (4) "Duty post" means any post in a grade whether permanent or temporary, mentioned in Table 1 of Schedule I to these rules;
  - (5) "Examination" means the Engineering Service Examination conducted by the Commission for recruitment to the posts in this Service;
  - (6) "Government" means the Government of India;
  - (7) "Grade" means a grade of duty posts specified in column (2) of Schedule I to these rules;
  - (8) "Officer" means a member of the Service;
  - (9) "regular service" in relation to any grade means the period of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the rules and includes any period-
    - (a) taken into account for the purpose of seniority in the case of those already in the grade at the time of commencement of these rules;
    - (b) during which the officer would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;
  - (10) 'Schedule' means the Schedules appended to these rules;
  - (11) 'Service' means the Indian Telecommunications Service, which shall consist of the posts or grades or time scales mentioned in Schedule I to these rules.
  - (12) The expressions 'Scheduled Castes', 'Scheduled Tribes', 'Other Backward Classes' and 'Person with disability' shall have the same meaning as assigned to them in the Constitution of India/ Acts of Parliament.
- **3. Constitution of Services.** (1) There shall be constituted a service known as the Indian Telecommunications Service, consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7.
  - (2) All the posts included in the Service shall be classified as Group A posts.
  - (3) The regular continuous service by the officers, as referred to in sub-rule (1) of this rule in the respective corresponding grades, rendered prior to commencement of these rules shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional up-gradation and pension.
- **4. Grades, Authorised Strength and its Review.-** (1) On the date of commencement of these rules, the posts in the various grades in the Service, their numbers and level in pay matrix shall be as specified in Schedule I.
  - (2) On and from the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the various grades shall be such as may be determined by the Central Government from time to time, subject to variation dependent on workload.
  - (3) The controlling authority may, in consultation with the Commission and the Government [Ministry of Communications, Department of Expenditure (wherever applicable) and the Department of Personnel and Training], make temporary additions to or reduction in the strength of the posts in various grades as it may deem necessary from time to time, subject to any general or special orders issued by the Government.
  - (4) The controlling authority may, in consultation with the Commission and the Central Government [the Ministry of Communications, Department of Expenditure (wherever applicable) and the Department of Personnel and Training], include in the Service such posts as may be equivalent to the posts included in the services in status, grade, pay scale and professional content, other than those included in Schedule I, or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

- (5) The controlling authority may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity as it may deem fit, and fix his seniority in such a grade in accordance with the general orders and instructions issued by the Government from time to time.
- **5. Members of the Service.** (1) The following persons shall be the members of the Service, namely:-
  - (a) Persons deemed to have been appointed to duty post under rule 6; and
  - (b) Persons appointed to duty post under rule 7.
  - (2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall be deemed to be member of the Service in the appropriate grade applicable to him from the date of initial constitution of the Service.
  - (3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be deemed to be member of the Service in the appropriate grade applicable to him, as specified in Schedule I, from the date of such appointment.
- **6. Initial Constitution of Service.-** The officers of the Indian Telecommunications Service holding duty posts in various grades of that Service on regular basis or holding lien on such posts on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed to the appropriate duty posts and grades in the Service in a substantive or officiating capacity, as the case may be.
- 7. **Future Maintenance of the Service. -** (1) After the initial constitution of the Service under rule 6, if any vacancy arises in any of the grades specified in Schedule I, it shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule, namely:
  - (a) Fifty per cent. of the vacancies in the grade of Junior Time Scale shall be filled by direct recruitment through the examination on the basis of the educational qualifications and age limit specified in Schedule II or any scheme or examination that may be notified by the Government in consultation with the Commission; and
  - (b) The remaining fifty per cent. of the vacancies in the Junior Time Scale shall be filled by promotion of officers of the Telecommunications Engineering Service Group 'B' in the manner specified in Schedule III.
  - (2) Appointment in the grades specified at serial numbers 1 to 7 in the Schedule III, shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower grade possessing minimum qualifying service as specified in column (4) of Schedule III.
  - (3) The selection of officers for promotion shall be made by selection except in the case of promotion to post of Non Functional Selection Grade in Junior Administrative Grade (NFSG) which shall be on the basis of seniority subject to suitability on the recommendation of the committee constituted for this purpose in accordance with Schedule IV.
  - (4) The selection in each case under sub-rule (2) shall be on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.
  - (5) Minimum educational qualification and age-limit of a candidate for appointment to the service by direct recruitment shall be as specified in Schedule II.
- **8. Non-Functional Up-gradation.-** Officers shall be granted Non-Functional up-gradation;
  - (i) in accordance with the orders or instructions issued by the Central Government from time to time;
  - (ii) made on the recommendations of the screening committee as specified in Schedule IV.
- **Seniority.-** (1) The relative seniority of the members of the Service, appointed to any Grade, on commencement of these rules, shall be the relative seniority in their respective grades as determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the Service has not been determined before the date of commencement of these rules, the same shall be determined by the Government in accordance with the general instructions on seniority issued by the Government from time to time.

- (2) The seniority of persons appointed to various grades of the Service on and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time.
- **10. Probation.-** (1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment or by promotion to Junior Time Scale, shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the orders and instructions issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for any extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

- (2) On completion of the period of probation or an extension thereof, officers if considered fit for the permanent appointment, shall be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancy, as the case may be.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.
- (4) During the period of probation or any extension thereof, the officers may be required to undergo such training and instructions and to pass such examination and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of probation.
- (5) As regards matters relating to probation, if not covered by these rules, the members of the service shall be governed by the instruction issued by the Government from time to time in this regard.
- 11. Mid-Career Training (MCT) Programme.— The officers of the service shall complete the MCT programme(s) satisfactorily as specified by the Central Government from time to time.
- **12. Appointment to the Service.-** All appointments to the service shall be made by the Controlling Authority for all duty posts in various grades of the service.
- **13. Liability for service in any part of India and other Service conditions.-** (1) The officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.
  - (2) An officer appointed to the Service, if so required shall be liable to serve in any Defence Service or a post connected with the defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training if any:

Provided that such officer,

- (a) shall not be required to serve as aforesaid on expiry of ten years from the date of his appointment of the Service or from the date of his joining prior to the initial constitution of the Service:
- (b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of forty years.
- (3) The conditions of service of the members of the Service, if not covered by these rules, shall be governed by the rules applicable generally to the officers of the Central Government.
- 14. **Disqualification.-** No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person, shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 15. Deputation to other departments or organisations.- Notwithstanding anything contained in these rules, officers appointed to the Service shall be sent on deputation or foreign service to any other Central or any of the States or Union territories or the autonomous bodies or public sector enterprises of Government or State Governments or any foreign country having an agreement in this regard with the Government or State Government Department in public interest, subject to the government instructions or orders in force from time to time for such deputation or foreign service.
- **Power to Relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons or posts.
- 17. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Disabilities, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

- **18. Interpretation.-** If any question relating to interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.
- **19. Repeal.-** Save as provided in rule 9 of these rules, the Indian Telecommunications Service (Group (A) Recruitment Rules, 1992 as amended from time to time, are hereby repealed:

Provided that such repeal shall not affect anything done or action taken under the said rules before such repeal.

### **SCHEDULE I**

[See rules 2(4), 2(7), 2(11), 4(1), 4(4), 5(3), 7(1)]

A. The grades, designation, level in the pay matrix and number of posts included in the Indian Telecommunications Service(ITS) Group 'A'.-

S. No.	Grade.	Designation.	Level in the pay matrix.	Number of posts*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Apex Scale	Director-General (Telecom)	Level 17 (Rs. 2,25,000)	1
2.	Higher Administrative Grade plus (HAG+)	Advisor	Level 16 (Rs. 2,05,400-2,24,400)	8
3.	Higher Administrative Grade (HAG)	Senior Deputy Director General	Level 15 (Rs. 1,82,200-2,24,100)	24
4.	Senior Administrative Grade (SAG)	Deputy Director General	Level 14 (Rs. 1,44,200-2,18,200)	191
5.	Non-Functional Selection Grade in Junior Administrative Grade (NFSG)	Director	Level 13 (Rs. 1,23,100-2,15,900)	230
6.	Junior Administrative Grade (JAG)		Level 12 (Rs. 78,800-2,09,200)	
7.	Senior Time Scale (STS)	Assistant Director General	Level 11 (Rs. 67,700-2,08,700)	303
8.	Junior Time Scale (JTS)	Assistant Divisional Engineer (Telecom)	Level 10 (Rs. 56,100-1,77,500)	96
		<u> </u>	Total	853

<sup>\*</sup> In addition to above,

- (i) There will be a deputation reserve of 310 posts for deputation of ITS officers to other Departments/Organizations.
- (ii) There will be a special diminishing reserve of 720 posts for posting of officers to Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL)/ Mahanagar Doorsanchar Nigam Limited (MTNL).
- (iii) This will be subject to the total numbers of officers remaining within the working strength of 1690.
- (iv) Number of ITS posts to be operated in BSNL/MTNL will be as per the Cabinet approval No. 7/CM/2013 dated 13 February 2013 (Annexure-I).

B. The Special Diminishing Reserve of 720 posts shall be operated for posting of officers to BSNL or MTNL as under:

Year	Higher Administrative Grade	Senior Administrative Grade	Junior Administrative Grade	Total
2016-17	4	374	342	720
2017-18	0	353	278	631
2018-19	0	323	213	536
2019-20	0	281	137	418
2020-21	0	239	54	293
2021-22	0	199	0	199
2022-23	0	104	0	104
2023-24		Nil		

Note: The number of posts in 'Non-Functional Selection Grade' in the Level-13 shall be restricted to thirty percent of senior duty posts (i.e. STS and above) or as amended by the Government from time to time.

Annexure-I

## Reduction in ITS cadre working in BSNL and MTNL $\,$

[Ref: Para A (iv) of Schedule I]

Year	post BS	o. of IT is to be NL on dimini	operat tempo	ed in rary	in MTNL on			DoT cadre at the level of SAG and JAG effected initially at the					Retirement of entire DoT cadre at the level of SAG and JAG effected initially at the JAG/DGM level and later at SAG/GM level in MTNL				atriati cers fr	rsion/ ion of rom B! t differ rels	SNL	Reversion/ Repatriation of ITS Officers from MTNL to DoT at different levels				
		(	I)			(I)	I)			(II	(II)			(Γ	V)			(\	√)			(V	(T)	
	HAG	SAG	JAG	Total	HAG	SAG	JAG	Total	HAG	SAG	JAG	Total	HAG	SAG	JAG	Total	HAG	SAG	JAG	Total	HAG	SAG	JAG	Total
2016-17	3	339	333	675	1	35	9	45	0	0	35	35	0	1	9	10	3	20	20	43	1	0	0	1
2017-18	0	319	278	597	0	34	0	34	0	0	35	35	0	10	0	10	0	20	30	50	0	0	0	0
2018-19	0	299	213	512	0	24	0	24	0	0	46	46	0	12	0	12	0	30	30	60	0	0	0	0
2019-20	0	269	137	406	0	12	0	12	0	0	53	53	0	12	0	12	0	30	30	60	0	0	0	0
2020-21	0	239	54	293	0	0	0	0	0	0	53	53	0	0	0	0	0	40	1	41	0	0	0	0
2021-22	0	199	0	199	0	0	0	0	0	55	0	55	0	0	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0
2022-23	0	104	0	104	0	0	0	0	0	54	0	54	0	0	0	0	0	50	0	50	0	0	0	0
2023-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### **SCHEDULE II**

[See rule 7(5)]

## Qualification and Age for direct recruitment

- 1. A candidate shall possess-
  - (a) a degree in Engineering or its equivalent in 'Electrical' or 'Electronics' or 'Electrical Communication' or 'Computer Science' or 'Telecommunications' or 'Information Technology' or 'Instrumentation' from:
    - (i) a University established by or under a Central or a State Act or declared to be a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956) or any other institution recognised by the Government.
    - (ii) foreign University approved from time to time by the Government; or
  - (b) any other qualification which has been recognised by the Government in consultation with the Commission for the purpose of admission to the Examination.
- 2. Candidates shall have attained the age of 21 years, but shall not have attained the age of 30 years on the crucial date for determining the age-limit as advertised by the Commission at the time of recruitment.

(Relaxable for the Government servant up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).

Note: Candidates, who are otherwise qualified but have taken a degree from a foreign University which is not approved by the Government, may also be considered at the discretion of the Commission.

### **SCHEDULE III**

(See rules 7(1)(b) and 7(2))

Method of appointment, field of selection and the minimum qualifying service for promotion to the higher duty post or grade of the Indian Telecommunications Service (ITS) Group 'A'.

S. No.	Grade.	Method of appointment.	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Apex Scale	Promotion by selection	Officers of the Service in Higher Administrative Grade+ in level 16 in the pay matrix (Rs. 2,05,400 – 2,24,400) with one year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.
2.	Higher Administrative Grade Plus (HAG+)	Promotion by selection	Officers of the Service in Higher Administrative Grade in level 15 in the pay matrix (Rs.1,82,200 – 2,24,100) with one year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.
3.	Higher Administrative Grade (HAG)	Promotion by selection	Officers of the Service in Senior Administrative Grade in level 14 in the pay matrix (Rs. 1,44,200 – 2,18,200) with three year's service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis; or officers with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year's regular service should be in the Senior Administrative Grade.
4.	Senior Administrative Grade (SAG)	Promotion by selection	Officers of the Service in Junior Administrative Grade in level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800 – 2,09,200) with eight years' combined service in Junior Administrative Grade and Non-Functional Selection Grade in Junior Administrative Grade, if any, rendered after appointment thereto on regular basis, or with seventeen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in Junior Administrative Grade including service rendered in the Non-Functional Selection Grade in Junior Administrative Grade.
5.	Non- Functional Selection Grade in Junior Administrative Grade (NFSG)	Placement on the basis of seniority subject to suitability	Officers of the Service in Junior Administrative Grade in level 12 in the pay matrix (Rs. 78,800 – 2,09,200) who have entered the 14 <sup>th</sup> year of service on the 1 <sup>st</sup> January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which the member of the Service was recruited, or the year of inclusion in the select list of Junior Time scale on promotion.
6.	Junior Administrative Grade (JAG)	Promotion by selection	Officers of the Service in Senior Time Scale in level 11 in the pay matrix (Rs. 67,700 – 2,08,700) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.
7.	Senior Time Scale (STS)	Promotion by selection	Officers of the Service in Junior Time Scale in level 10 in the pay matrix (Rs. $56,100 - 1,77,500$ ) with four years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis, provided that the directly recruited officers in the Grade of Junior Time Scale shall have passed the departmental test specified by the controlling authority from time to time.
8.	Junior Time Scale (JTS)	fifty per cent. by Direct Recruitment	Through Engineering Service Examination conducted by the Commission.
		fifty per cent. by Promotion by selection	Officers of Telecommunications Engineering Service Group 'B' in level 8 in the pay matrix (Rs. 47,600 – 1,51,100) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis.

Note: Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

### **SCHEDULE IV**

[See rules 2(3), 7(4), 8 and SCHEDULE I]

Composition of Committees for considering cases of Promotion, Confirmation and Nonfunctional Up-gradation to the duty post(s) or Grade(s) of Indian Telecommunications Service (ITS) Group 'A'

S. No.	Grade/ Pay Level/ Post.	Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for appointment to the Grade.	Composition of Departmental Confirmation Committee.	Composition of Departmental Screening Committee for the Non - Functional Up-gradation.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Apex Scale (Level 17)  Director General (Telecom)	Chairman or Member,     Union Public Service     Commission – Chairman;      Chairman, Digital     Communications     Commission – Member;      Member, Digital     Communications	Not applicable.	Not applicable.
2.	Higher Administra- tive Grade Plus (HAG+) (Level 16) (Advisor)	Commission— Member.  1. Chairman or Member,    Union Public Service    Commission — Chairman;  2. Chairman, Digital    Communications    Commission — Member;  3. Member, Digital    Communications    Commission or Director-    General (Telecom)—    Member.	Not applicable.	Not applicable.
3.	Higher Administrative Grade (HAG) (Level 15)  (Senior Deputy Director General)	Chairman or Member,     Union Public Service     Commission – Chairman;      Chairman, Digital     Communications     Commission – Member;      Member, Digital     Communications     Commission or Director     General (Telecom)–     Member.	Not applicable.	<ol> <li>Chairman, Digital         Communications         Commission—Chairman;</li> <li>Member, Digital         Communications         Commission or Director         General (Telecom) —         Member;</li> <li>Advisor, Department of         Telecommunications —         Member.</li> </ol>

	I			
4.	Senior Administrative Grade (SAG) (Level 14) (Deputy Director General)	Chairman or Member,     Union Public Service     Commission – Chairman;      Chairman, Digital     Communications     Commission or Director     General (Telecom)     Member;      Member, Digital     Communications     Commission – Member.	Not applicable.	Chairman Digital     Communications     Commission—Chairman;      Member, Digital     Communications     Commission or Director     General (Telecom) —     Member;      Advisor, Department of     Telecommunications —     Member.
5.	Non- Functional Selection Grade in Junior Administrative Grade (NFSG) (Level 13)	Member, Digital     Communications     Commission or Director     General (Telecom)—     Chairman;      Advisor, Department of     Telecommunications—     Member;      Deputy Director General,     Department of     Telecommunications—     Member.	Not applicable.	Member, Digital     Communications     Commission or Director     General (Telecom) –     Chairman;      Advisor, Department of     Telecommunications –     Member;      Deputy Director General,     Department of     Telecommunications –     Member.
6.	Junior Administra- tive Grade (JAG) (Level 12) (Director)	Chairman or Member,     Union Public Service     Commission – Chairman;      Advisor, Department of     Telecommunications –     Member;      Advisor, Department of     Telecommunications –     Member.	Not applicable.	<ol> <li>Member, Digital         Communications         Commission or Director         General (Telecom) –         Chairman;</li> <li>Advisor, Department of         Telecommunications –         Member;</li> <li>Deputy Director General,         Department of         Telecommunications –         Member.</li> </ol>
7.	Senior Time Scale (STS) (Level 11) (Assistant Director General)	Advisor, Department of Telecommunications – Chairman;      Advisor, Department of Telecommunications – Member;      Deputy Director General, Department of Telecommunications – Member.	Not applicable.	<ol> <li>Advisor, Department of Telecommunications – Chairman;</li> <li>Advisor, Department of Telecommunications - Member;</li> <li>Deputy Director General, Department of Telecommunications – Member.</li> </ol>

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 19

8.	Junior Time Scale (JTS) (Level 10)	Chairman or Member,     Union Public Service     Commission – Chairman;	Advisor, Department     of Telecommunica- tions – Chairman:	Not applicable.
	(Assistant Divisional Engineer (Telecom))	2. Advisor, Department of Telecommunications – Member;  3. Deputy Director General, Department of Telecommunications – Member.	2. Advisor, Department of Telecommunications – Member;  3. Deputy Director General, Department of Telecommunications – Member.	

[F.No. 9-11(06)/2016-Estt(RR)/ITS] S. C. KAROL, Director (Establishment)